छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2007

(अग्रहायण 5, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री महेश बघेल, छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव, श्री जगमोहन दास, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री अशोक राव, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री तथा श्री वासुदेव चंद्राकर, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल, श्री नोवेल कुमार वर्मा, कु.कामदा जोल्हे, श्री धर्मजीत सिंह, श्री रविन्द्र चौबे, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किए गए ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई ।

सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.32 बजे मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 6, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2007
(अग्रहायण 6, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य को पुलिस के जवानों द्वारा जान से मारने की धमकी तथा माननीय श्री कवासी लखमा, सदस्य को नक्सली घोषित करने संबंधी घटना पर शासन की ओर से वक्तव्य की मांग करते हुए, आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल के बाद चर्चा करने का आग्रह करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक स्थगित की गई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1.वक्तव्य

श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य को पुलिस के जवानों द्वारा जान से मारने की धमकी तथा माननीय श्री कवासी लखमा, सदस्य को नक्सली घोषित करने संबंधी घटना पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य को पुलिस के जवानों द्वारा जान से मारने की धमकी तथा माननीय श्री कवासी लखमा, सदस्य को नक्सली घोषित करने संबंधी घटना पर वक्तव्य दिया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

2.कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण ।	3 घंटे
विधि विषयक कार्य	
छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2007	1 घंटे
छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007	3 घंटे

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार-

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने - छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007),

(2) श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने - छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) एवं

(3) श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007)

पटल पर रखा ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम 2002 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 21-03/2002/नौ/55, दिनांक 12 मार्च, 2007,
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (क्रमांक 53 सन् 2005) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ -1-20/राजस्व/राहत /2006, दिनांक 1 अगस्त, 2007,

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की अपेक्षानुसार
   (i) अधिसूचना क्रमांक 7671/डी-2019/21-ब/छ.ग./07, दिनांक 5 सितम्बर, 2007
   (ii) अधिसूचना क्रमांक 8303/डी-2019/21-ब/छ.ग./07, दिनांक 25 सितम्बर, 2007, तथा
4. कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 पटल पर रखे ।

5. जुलाई, 2007 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जुलाई, 2007 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए ।

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2007 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया ।

7. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री ननकीराम कंवर
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा गोदाम निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री कोमल जंघेल, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में व्याप्त अनियमितता की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए ।)

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम डिडौरी, विकासखण्ड लोरमी के ट्रांसफार्मर को उपयुक्त स्थान पर लगाने हेतु,

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने दुर्ग जिले के साजा, बेमेतरा अनुभाग के अतिक्रमण हटाने से उत्पन्न स्थिति,

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में बैलजोड़ी वितरण के नाम पर अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने,

(4) श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य ने विभिन्न सहकारी योजनाओं अतंर्गत निर्माण कार्य में अनियमितता, तथा

(5) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने अंबिकापुर जिलान्तर्गत उपसंचालक, कृषि द्वारा रतनजोत पौधे वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्ट्राचार किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 में सम्मिलित डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

11. मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव अनुमति के लिए पढ़कर सुनाया ।

दशांश सदस्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में खड़े होने पर चर्चा हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया तथा चर्चा के लिए शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को मध्यान्ह 12.00 बजे से समय नियत किया ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) पुर:स्थापित किया ।

13. नियम को शिथिल कर छत्तीसगढ़ी में बोलने की अनुमति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्योत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिये जाने की घोषणा को विधि का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से आज छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007, क्रमांक-14, सन् 2007 पुर:स्थापित किया गया है । आज का दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही का ऐतिहासिक दिन है ।

जब छत्तीसगढ़ राज्य में यहां की बोलचाल की भाषा को राजभाषा का स्वरूप प्रदान करने हेतु विधिक कार्यवाही संपादित होगी । पूर्व सत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को मान्यता दिये जाने संबंधी अशासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने सभा में अपनी बात को छत्तीसगढ़ी में रखने का प्रयास किया था किंतु नियमों के अंतर्गत बाध्यता होने के कारण आसंदी से ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी । यद्यपि भावनात्मक रूप से सदन की यह इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलने की अनुमति दी जाये । उक्त परिप्रेक्ष्य में विधानसभा सचिवालय से छत्तीसगढ़ी भाषा में सभा की कार्यवाही रिकार्ड करने और सुविधा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी से हिंदी एवं हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की व्यवस्था की तैयारी भी इस आशय से की कि यदि राज्यशासन छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिये जाने संबंधी विधेयक, प्रस्ताव सभा में लाती है तो सदन की भावना अर्थात् इस प्रदेश की 2 करोड़ जनता की भावना के अनुरूप सभा में माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ी में बोलने का अवसर दिया जाये ।

विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम- 235 में सभा का कार्य हिंदी में किये जाने का उल्लेख है । सभा में पारित होने वाले विधेयक और उसे अधिनियम का स्वरूप प्राप्त होने में अभी कुछ समय और लगेगा परंतु सम्पूर्ण कार्यवाही होने की प्रत्याशा में नियम-235 को शिथिल करते हुए सभा की कार्यवाही में चर्चा के लिये छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने के पूर्व सभा के द्वारा नियम को शिथिल किया जाना आवश्यक है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी घोषणा की कि - सभा की सहमति के अनुरूप माननीय सदस्य विधयेक पर चर्चा के दौरान हिंदी अथवा छत्तीसगढ़ी में अपनी बात कह सकेंगे । विधानसभा सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ी से हिंदी एवं हिंदी से छत्तीसगढ़ी में साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था की गयी है । ताकि माननीय सदस्य अपनी इच्छा अनुरूप जिस भी भाषा में चर्चा का श्रवण करना चाहें कर सकें । माननीय सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा चैनल-1 पर तथा अनुवादित भाषा में सुनने की व्यवस्था चैनल-2 अथवा चैनल-5 पर उपलब्ध है । यह व्यवस्था पत्रकार दीर्घा में भी की गयी है । माननीय सदस्य उक्त सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ।

14. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद की अनुपलब्धता, नकली खाद वितरण और खाद की कालाबाजारी किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे ने चर्चा प्रारंभ की ।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री इंदर चोपड़ा

15. व्यवस्था

संसदीय शब्दावली का प्रयोग ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य के छत्तीसगढ़ी में दिए भाषण में प्रयुक्त कुछ शब्दों पर आपत्ति की कि - उन शब्दों का हिन्दी रूपातंरण भी असंसदीय होगा, अतः माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्यों को असंसदीय शब्द प्रयोग करने की अनुमति न दें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

मैंने प्रारंभ में ही इस बात को कहा था कि पिछली बार जब एक अशासकीय संकल्प के समय माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया था और हमें नियमों के बंधन के कारण अच्छी भावना रहने के बावजूद भी हमें उन्हें रोकना पड़ा था, और उनके चाहने पर भी नहीं बोलने दिया गया और पिछले समय जैसे ही छत्तीसगढ़ी को राजभाषा देने की घोषणा हुई , हम ये जानते थे, अगर हम चाहते तो नियम और प्रक्रियाओं का हवाला देकर के इसे तब तक रोक सकते थे जब तक इसका पारण न हो जाता और इसका राजपत्र में प्रकाशन न हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ इसलिये कि एक अच्छे भाव से जो इसमें भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहे, छत्तीसगढ़ी बोली में भी वह उसको ठीक तरीके से अपनी बात रखे । जहां तक अभी छत्तीसगढ़ी के विलोपन योग्य शब्दों का सवाल है वह शब्दकोष तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी और हिन्दी में जो भी अपमानजनक बातें हैं, जो हिन्दी में असंसदीय है वह छत्तीसगढ़ में संसदीय नहीं हो सकता, मैं यह मानता हूं । वह किसी भी भाषा में संसदीय नहीं हो सकता है और इस चीज का चूंकि छत्तीसगढ़ी में अभी प्रतिवेदन कार्य तत्काल शार्टहैंड में तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन रिकार्ड हो करके जब उसका प्रिंटआऊट होगा, जो भी ऐसी असंसदीय चीजें होंगी, वह स्वमेव निकाल दी जायेंगी और मेरा माननीय सदस्यों से भी आग्रह यही है कि हम बड़े सम्मान और जिस भावना के साथ जिस चीज़ को कर रहे हैं । कभी-कभी हंसी मजाक तो सदन का एक रूटिन है, लेकिन हंसी मजाक इतना भी न हो कि वह बाद में सीमा तोड़ जाये और मैं ऐसा समझता हूं कि सारे सदस्य उस भाव से बोल रहे हैं ।

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री उदय मुदलियार, निर्मल सिन्हा, नंदकुमार पटेल, त्रिलोचन पटेल, डॉ.शिवकुमार डहरिया, चंदूलाल साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, नोवेल कुमार वर्मा, भूपेश बघेल ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से नियम 139 की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सदन की कार्यवाही सायं 5.46 बजे बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 7, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

क्रमांक - तीन

बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2007
(अग्रहायण 7, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 08, 10 एवं 11 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 02 एवं 09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री लच्छूराम कश्यप एवं महंत रामसुंदर दास अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 11 में श्री महेन्द्र कर्मा के स्थान पर श्री भूपेश बघेल अधिकृत सदस्य ने प्रश्न पूछा ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 25 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. व्यवस्था

मैंने पूर्व में भी यह बात कही है कि प्रश्नों के उत्तर में उसी दिन संशोधन प्रस्तुत करना, उचित नहीं है । संशोधन की कुछ प्रक्रिया है, उसका पूर्ण पालन होना चाहिए । अगर कोई छोटी-मोटी टंकण की त्रुटि है उसका संशोधन समझ में आता है लेकिन प्रश्नों के उत्तर के मूल स्वभाव में ही परिवर्तन हो जाये यह उचित नहीं है ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग में सड़क उन्नयन तथा पुनःनिर्माण कार्य के भागीदारी चयन में अनियमितता किऐ जाने संबंधी श्री भूपेश बघेल तथा अन्य सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी ।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग ने इस पर वक्तव्य दिया ।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, धनेन्द्र साहू, गणेश शंकर बाजपेयी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, ताम्रध्वज साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, सियाराम कौशिक, अमरजीत भगत, रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के बाद स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

प्रतिपक्ष के निम्न सदस्यों ने गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर, धनेन्द्र साहू, गणेशशंकर बाजपेयी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, उदय मुदलियार, डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.चेतन वर्मा, चुरावन मंगेशकर, सियाराम कौशिक, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, चंद्रभान बारमते, कवासी लखमा, गुलाब सिंह, योगेश्वरराज सिंह, ओंकार शाह ।

माननीय अध्यक्ष ने स्वमेव निलंबित सदस्यों के निलंबन की अवधि 28 नवम्बर, 2007 की बैठक के भोजनावकाश तक के लिए विनिश्चित की ।

(1.44 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला बिलासपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावासों में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश की जेलों से कैदियों के फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, तथा

(2) श्री कोमल जंघेल

8. प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त स्थानों हेतु एक-एक सदस्य का निर्वाचन

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिए एक-एक सदस्य अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त दो स्थानों की पूर्ति हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिए एक सदस्य अनुसूचित जनजाति तथा एक सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के अग्रसर हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु सदस्यों का निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरूवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शनिवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

10. औचित्य प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि - अनुदान मांग प्रस्तुत करने के संबंध में नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं न कि संसदीय कार्य मंत्री ।

इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

मैंने अनुमति दी है । संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत कर रहे हैं ।

11. वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 29 नवम्बर, 2007 की तिथि निर्धारित की ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2007 पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, निर्मल सिन्हा,

13. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि में परिवर्तन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007 के स्थान पर सोमवार, 03 दिसम्बर, 2007 को रखी जाये क्योंकि प्रस्तावक सदस्य अवकाश पर हैं तथा शुक्रवार अशासकीय कार्य दिवस भी है ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार, 03 दिसम्बर, 2007 को 12.00 बजे मध्याह्न से चर्चा रखे जाने की घोषणा की ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, सिद्धनाथ,

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, प्रीतम सिंह दीवान, डॉ.हरिदास भारद्वाज, गणेश शंकर बाजपेयी, विजय अग्रवाल, दयालदास बघेल, कवासी लखमा, नोवेल कुमार वर्मा, गुलाब सिंह, कु.कामदा जोल्हे, भूपेश बघेल ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं सर्वसम्मति से विधेयक को पारित करने का अनुरोध किया ।

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

सदन की कार्यवाही रात्रि 7.22 बजे गुरूवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 8, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2007

(अग्रहायण 8, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 तथा 03 से 08 (कुल 07) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.चेतन वर्मा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 3 तारांकित प्रश्न एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा ।

3. व्यवस्था

श्री भूपेश बघेल तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने सड़क उन्नयन तथा पुर्ननिर्माण हेतु भागीदारी चयन में हुई अनियमितता के संबंध में राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग से उत्तर दिलाये जाने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न उठाया । इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

कल आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन सूचना की सूचना की ग्राह्यता के संबंध में चर्चा हुई है, तथा उस पर शासन का उत्तर भी आया है । वर्तमान में कोई ऐसी सूचना ही नहीं है, जिस आधार पर सरकार से जवाब मांगा जाए ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.10 बजे स्थगित की जाकर 12.25 बजे पुन: प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

4. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

प्रतिपक्ष के निम्न सदस्यों ने गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, गुलाब सिंह, धर्मजीत सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, चंद्रभान बारमते, राजेन्द्र पामभोई, योगेश्वरराज सिंह, ताम्रध्वज साहू, डॉ.शिवकुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, सियाराम कौशिक, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, उदय मुदलियार, रामपुकार सिंह, गणेशशंकर बाजपेयी, डॉ.चेतन वर्मा, ओंकार शाह, धनेन्द्र साहू, बोधराम कंवर, चुरावन मंगेशकर, डॉ.शक्राजीत नायक ।

माननीय अध्यक्ष ने यह उद्गार व्यक्त किया कि - सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बनाए गए नियमों का उल्लंघन , सभा के प्रति सम्मान को आहत करने की श्रेणी में आता है और इस पर मैं दु:ख ही व्यक्त कर सकता हूं । मैं अत्यंत दु:खी मन से उपरोक्त सदस्यों को आज की कार्यवाही से निलंबित करता हूं । कृपया समस्त सदस्य सभा कक्ष से बाहर चले जावें ।

माननीय अध्यक्ष ने स्वमेव निलंबित सदस्यों के निलंबन की अवधि 29 नवम्बर, 2007 की बैठक की समाप्ति तक के लिए विनिश्चित की ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने कोरबा पश्चिम ताप विद्युत इकाई का कार्य चीनी कम्पनी को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्र. 01 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने कृषि सहकारी संस्थाओं हेतु कम्प्यूटर एवं जनरेटर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर कार्यसूची में शामिल कार्यों को पूर्ण कराने की घोषणा की)

8. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, तथा

(2) श्री बैदूराम कश्यप

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री ननकीराम कंवर, तथा

(2) डॉ.बालमुकुंद देवांगन

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 01, 17)	श्री रविन्द्र चौबे श्री इंदर चोपड़ा	1 घंटा
2. (क्रमांक - 06)	श्री कोमल जंघेल	45 मिनट
3. (क्रमांक - 14)	श्री विक्रम उसेंडी	45 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12. वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 77, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह सौ इकतालीस करोड़, नवासी लाख, बहत्तर हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

सर्वश्री डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सिद्धनाथ, निर्मल सिन्हा, नोवेल कुमार वर्मा ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2007

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2007 का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव पर मत लिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व 4 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.51 बजे शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 9, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2007

(अग्रहायण 9, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित प्रश्न एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(i) विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007 (छत्तीसगढ़ सरकार), तथा

(ii) वित्त लेखे वर्ष 2006-2007 (छत्तीसगढ़ सरकार)

पटल पर रखे ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सड़क उन्नयन तथा पुर्ननिर्माण हेतु भागीदारी चयन में हुई अनियमितता का उल्लेख करते हुए नारेबाजी की गई ।

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.10 बजे स्थगित की जाकर 12.33 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - कार्यसूची में 21 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है । नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके क्रमांक (1)

से (4) तक की सूचनाऐं ली जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । शेष सूचनाओं पर माननीय मंत्री के लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी ।

(1) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने बिलासपुर के मुख्य डाकघर में डकैती होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने जिला कबीरधाम में चिकित्सा के अभाव में आदिवासी बैगाओं की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

4. बहिर्गमन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्र. 04 तक का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला कांकेर में रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. सदन को सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक पारित होने के पश्चात सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्दावली के समानार्थी छत्तीसगढ़ी शब्दावली का प्रारूप विधान सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है ।

छत्तीसगढ़ी शब्दावली का प्रारूप माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित राजभाषा अभिनंदन कार्यक्रम में आज दोपहर भोजनावकाश के बाद भेंट किया जायेगा ।

समस्त माननीय सदस्य कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने उद्योगों एवं कारखानों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने से श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री हेमचंद यादव, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

निम्न लिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	सर्व श्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य
(11)	डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नंदकुमार पटेल सदस्य
(13)	डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य
(14)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(15)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(16)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(17)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(18)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(19)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(21)	डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नंदकुमार पटेल
(2) श्री अमरजीत भगत
(3) श्री महेन्द्र कर्मा
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री धर्मजीत सिंह

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-
(1) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, तथा
(2) श्री बोधराम कंवर

(2.20 से 3.43 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

11. वक्तव्य

दिनांक 29.11.2007 के प्रश्न क्रमांक 174 के उत्तर के संबंध में श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया ।

12. वक्तव्य

दिनांक 29.11.2007 मिजो सशस्त्र बल के 10 जवान एवं 1 वाहन चालक की नक्सलियों द्वारा हत्या किए जाने के संबंध में श्री रामविचार नेताम ने वक्तव्य दिया ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति दी :-

(1) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) विधेयक, 2007

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) विधेयक, 2007

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

14. अशासकीय संकल्प

(1) छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साजा, बेरला, नवागढ़ बेमेतरा तहसील के अंतर्गत पारधी, बहेलिया, शिकारी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाय

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की एवं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया -

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में पारधी, बहेलिया, शिकारी जनजातियों को अनसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, श्री निर्मल सिन्हा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री कोमल जंघेल, सदस्य - अनुपस्थित

(3) छत्तीसगढ़ में रहने वाली विस्थापित बंग नम शूद्र जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना

श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, देवजी पटेल, निर्मल सिन्हा, इंदर चोपड़ा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

सदन की कार्यवाही सांय 4.53 बजे सोमवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 (अग्रहायण 12, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2007
(अग्रहायण 12, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री भेखराम साहू, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल, श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किए गए ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई ।

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.16 बजे पुन: प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 एवं 06 (कुल 04) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 03 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमश: श्री बोधराम कंवर एवं श्री चंद्रभान बारमते, सदस्य अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित प्रश्न एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

यह सदन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत आरोप पत्र के तीन आरोपों को पढ़ा गया । मानननीय अध्यक्ष ने आरोप पत्र को सभा पटल पर रखे जाने की एवं कार्यवाही का भाग बनने की घोषणा की एवं चर्चा आरंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री,

5. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी जाने एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये जाने की जानकारी दी ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

6. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री नंदकुमार पटेल, श्री देवजी पटेल, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

श्री त्रिलोचन पटेल, श्री उदय मुदलियार, श्री इंदर चोपड़ा, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री ननकीराम कंवर, श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य,

(सभापति महोदय (श्री ननकीराम कंवर) पीठासीन हुए ।)

श्री देवलाल दुग्गा, संसदीय सचिव, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री शिवप्रताप सिंह, धर्मजीत सिंह, सदस्य, अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री, अमरजीत भगत, सदस्य (जारी)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री अमरजीत भगत विजय अग्रवाल, कवासी लखमा, लच्छुराम कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा, ताम्रध्वज साहू, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य, श्री हेमचंद यादव, श्रम मंत्री, (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री हेमचंद यादव, श्रम मंत्री , श्री रामदयाल उइके, श्री निर्मल सिन्हा, श्री गुलाब सिंह, सदस्य, श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, (जारी)

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री मोहम्मद अकबर, श्री अघन सिंह ठाकुर, सदस्य ।

(चर्चा जारी)

7. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि - विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 12 की अपेक्षानुसार सभा की बैठक प्रातः 11.00 से प्रारंभ होने का प्रावधान है । नियम 12 को शिथिल कर दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को सभा की कार्यवाही मध्यान्ह 12.00 बजे से प्रारंभ की जाए ।

सदन की कार्यवाही रात्रि 3.15 बजे मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 (अग्रहायण 13, 1929) के पूर्वाह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2007

(अग्रहायण 13, शक संवत् 1929)

विधान सभा मध्याह्न 12.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, एवं 04 (कुल 03) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री सियाराम कौशिक अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 3 तारांकित प्रश्न एवं 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

(व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.34 बजे स्थगित होकर 1.05 बजे पुन: प्रारंभ हुई ।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2007-2008 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखी ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके कार्यसूची में 15 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है । क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाऐं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । शेष सूचनाओं पर माननीय मंत्री के लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी ।

(1) श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य ने विकासखण्ड सिमगा एवं बलौदाबाजार के शाला भवनों में धान रखे जाने से अध्यापन कार्य प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

5. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी जाने एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये जाने की जानकारी दी ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(4)	श्री नोवेल कुमार वर्मा सदस्य
(5)	श्री देवजी पटेल, सदस्य
(6)	श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
(8)	श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

(10) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य

(11) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य

(12) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य

(13) श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य

(14) डॉ.शक्राजीत नायक, श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य

(15) श्री देवजी पटेल, सदस्य

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अमरजीत भगत

(2) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(3) कु.कामदा जोल्हे

(4) श्री बैदूराम कश्यप

(5) श्री सियाराम कौशिक

(6) डॉ.शक्राजीत नायक

(7) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(8) श्री रामपुकार सिंह

(9) श्री निर्मल सिन्हा

(10) श्री नंदकुमार पटेल

(11) डॉ.बालमुकुंद देवांगन

(12) श्री कवासी लखमा

(13) श्री धनेन्द्र साहू

(14) श्री रामदयाल उइके

(15) श्री उदय मुदलियार

(16) डॉ.शिवकुमार डहरिया

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री बैदूराम कश्यप

(2) डॉ.चेतन वर्मा

(3) श्री चैतराम साहू

(4) श्री चंदूलाल साहू

(5) श्री लच्छूराम कश्यप

(6) श्री धनेन्द्र साहू

(7) श्री निर्मल सिन्हा

(8) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

9. वक्तव्य

दिनांक 17 जुलाई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या-4 (क्रमांक 310) के उत्तर के भाग “क ” में संशोधन के संबंध में श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया ।

10. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री देवजी पटेल, सभापति, सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि - रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री विजय अग्रवाल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि - विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) श्री त्रिलोचन पटेल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने प्रस्ताव किया कि - स्कूल शिक्षा विभाग में गैस चूल्हा क्रय तथा खाद्य विभाग में अनुबंध से अधिक धान खरीदी तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान के उठाव में अनियमितता के संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) विधेयक, 2007

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अघन सिंह ठाकुर, डॉ.हरिदास भारद्वाज

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, देवजी पटेल ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 12 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, नोवेल कुमार वर्मा ।

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

12. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया कि स्वास्थ्यगत कारणों से वे चर्चा में भाग नहीं ले पायेंगे, उनके स्थान पर श्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 26 विपक्ष में 52 मत प्राप्त हुए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

13. समितियों का निर्वाचन

प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए स्थानों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में हुए रिक्त एक-एक स्थान तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त दो स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया :-

1. प्राक्कलन समिति	श्री विक्रम उसेंडी
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	श्री निर्मल सिन्हा
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति	1. श्री कोमल जंघेल
तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति	2. श्री सिद्धनाथ

14. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधान सभा का त्रयोदश, शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह सत्र 26 नवम्बर से 07 दिसम्बर, 2007 तक के लिए आहूत था जिसमें 10 कुल बैठकें प्रस्तावित थीं परंतु परिस्थितिजन्य कारणों से सदन ने सत्र अवधि को संशोधित करते हुए इस शीतकालीन सत्र को केवल 7 दिवसों तक रखने का निर्णय लिया। सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सत्र में संपादित कार्यों को संक्षिप्त में रखने के पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस सत्र में संसदीय सचिव स्व.श्री महेश बघेल जी की कमी हमें हमेशा महसूस होती रही। परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्‌गति प्राप्त हो, साथ ही उनके परिवार जनों को इस गहन दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे।

संसदीय शासन व्यवस्था एवं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान हो, उन्हें अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिले। इस सदन के लिए यह गर्व का विषय है कि आप सबके सहयोग से यह सदन पक्ष-प्रतिपक्ष की आदर्श भूमिका को स्थापित करने में सफल रहा है।

मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की इस द्वितीय विधान सभा ने अपने कार्यों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को जो ऊंचाईयां दी हैं वे लोकतांत्रिक परंपराओं पर आस्था रखने वालों के लिए प्रेरणा और उद्धरण साबित होंगे।

छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा के लिए यह प्रथम अवसर था जब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रतिपक्ष के द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर दिनांक 3 दिसम्बर से 4 दिसम्बर के प्रातः 3.15 बजे तक 15 घण्टे 10 मिनट एवं आज 2 घण्टे 40 मिनट कुल 17 घण्टे 50 मिनट तक चर्चा कर इस सदन ने एक रिकार्ड बनाया है। किसी एक दिन में 16 घण्टे 10 मिनट सभा की कार्यवाही चली यह भी अब तक की सबसे अधिक समय तक चलने वाली बैठक रही।

मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि अविश्वास प्रस्ताव में हुई चर्चा के दौरान माननीय सदस्य न केवल अपनी उपस्थिति के प्रति गंभीर रहे अपितु वे जागृत व मुखरित भी रहे। मैं समझता हूँ कि किसी राजनेता के संसदीय जीवन में ऐसा दुर्लभ संयोग कम ही बन पाता है जब वह संसदीय अनुष्ठान की संपूर्णता के लिए समय की गति से अप्रभावित होता है। यह सदन साक्षी है कि लोक-हित व लोक-कल्याण की चर्चा में आप इतने तल्लीन थे कि कब दोपहर, कब शाम, कब रात और कब सबेरा हुआ, पता ही नहीं चला। अविश्वास प्रस्ताव की संपन्न हुई ऐतिहासिक चर्चा में पूरे

समय सदन का माहौल खुशगवार बनाये रखने के लिए मैं समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। संसदीय प्रजातंत्र का मूलमंत्र भी सदाशयता के साथ विचार-विमर्श से समस्याओं का हल ढूंढना है।

मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि इस सत्र में छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित हुआ । छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधानसभा कार्यावधि में छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना हम सब के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है ।

इस शीतकालीन सत्र में अधिकांश सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए छत्तीसगढ़ी के प्रति सम्मान व्यक्त किया । छत्तीसगढ़ी भाषा के उन्नयन और विकास के लिए प्रदेश की यह सर्वोच्च पंचायत वचनबद्ध है और यही कारण है कि सदन की कार्यवाही को अनुवादकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी में अनुवादित करने की व्यवस्था की गई । इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के राजभाषा घोषित होने के बाद अल्प समय में ही छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा राज्य शासन को अंग्रेजी एवं हिन्दी के प्रशासनिक शब्दकोष हेतु छत्तीसगढ़ी भाषा में समानार्थी शब्दों के शब्दकोष का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया ।

छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग में आपकी व्यक्तिगत भाषा की ज्ञान संपन्नता से कहीं ज्यादा मातृभाषा के प्रति आपके समर्पण की प्रतिबद्धता आवश्यक है । छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देना तभी सार्थक होगा जब हम मन, वचन और कर्म से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति समर्पित होंगे ।

इस सत्र में माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी अस्वस्थता के बावजूद सभा की कार्यवाही में आज उपस्थित रहे । सभा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदस्यों के लिए अनुकरणीय है । मैं इस सभा की ओर से कामना करता हूं कि वे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हों । कार्यवाही के संचालन में निरंतर सहयोग के लिए प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं ।

इस सत्र में एकाधिक अवसरों पर उत्तेजना के क्षण भी दृष्टिगत हुए। जब माननीय सदस्यों के आरोप प्रत्यारोप की वजह से सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई । इसका मूल कारण छत्तीसगढ़ी भाषा में शब्दों के आशय को नहीं समझने से रहा । मेरा आपसे इस विषय पर निवेदन है कि प्रारंभिक तौर पर हमें यह बात गंभीरता से ध्यान में रखना आवश्यक है कि सदन में आदर्श शब्दावली का ही उपयोग करें क्योंकि सदन में प्रयुक्त होने वाली भाषा से इस सदन, आसंदी, सदन के सदस्य सहित प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का भी सम्मान जुड़ा होता है । किसी संसदीय सदन की गरिमा उस सदन के सदस्यों के कार्य, व्यवहार और विचारों की अभिव्यक्ति में निहित है । मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे संसदीय संस्कार को शाश्वत रखते हुए अपनी जनसेवक की भूमिका का निर्वाह करें । यदि हम अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सजग, सचेत होंगे तो निश्चित ही इसका सुखद परिणाम हमारे सामने होगा।

इस लघु शीतकालीन सत्र में सदन के सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 7 कार्य दिवसों में कुल 41 घंटे 30 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में 949 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें से 533 प्रश्न ग्राह्य हुए । ग्राह्य तारांकित प्रश्न 317 रहे, इनमें से 31 प्रश्न पर चर्चा हुई, अतारांकित ग्राह्य प्रश्न 216 रहे । जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से एक विषय से संबंधित 3 सूचनाओं पर चर्चा हुई । इस सत्र में19 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 2 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिए सदन में रखे गये तथा दोनों ही संकल्प स्वीकृत हुए ।

इस सत्र में कुल 43 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से ग्राह्य सूचनाओं की संख्या 25 रही। ग्राह्य सूचनाएं एक ही विषय से संबंधित थीं । इस सत्र में शून्यकाल की 66 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 34 सूचनाएं ग्राह्य व 32 सूचनायें अग्राह्य रहीं ।

द्वितीय विधानसभा के इस त्रयोदश सत्र में कुल 407 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 90 सूचनाएं ग्राह्य व 270 सूचनायें अग्राह्य रही तथा 47 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गई । इस सत्र में कुल 6 विधेयक लाए गए और पारित हुए । कुल 131 याचिकाएं प्राप्त हुई जिसमें से 35 ग्राह्य हुई और सदन में प्रस्तुत की गई । 2 प्रतिवेदन, 4 अधिसूचनाएं व 3 अध्यादेश सभा पटल पर रखे गये । विभिन्न विषयों पर 178 पुस्तकें एवं संदर्भ सामग्री सदस्यों को उपलब्ध कराई गई । इसके साथ ही महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य भी निष्पादित हुआ ।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं पुनःश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से संसदीय व्यवस्था और संसदीय संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता में छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा पूरे देश में प्रथम पंक्ति विधान सभा होगी। विधान सभा के माध्यम से राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के प्रति हमने अपने प्रयास निरंतर जारी रखे हैं, इस सत्र में भी पूर्व की तरह विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के 125 से अधिक छात्र-छात्राओं ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की यह परम्परा रही है कि सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथि की घोषणा की जाती है। तद्नुसार आगामी सत्र जो द्वितीय विधान सभा का चौदहवां सत्र होगा जो कि बजट सत्र होगा। आगामी सत्र दिनाँक 11 फरवरी, 2008 से संभावित है।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, कु. कामदा जोल्हे, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए ।

15. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)

सायं 6.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा